

गोरखपुर क्षेत्र में 86 किमी होगी लंबाई, एनएचएआई ने चार जिलों के डीएम को लिखा पत्र

# पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए तय हुआ एलाइनमेंट

## तैयारी

गोरखपुर, निज संवाददाता। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईस्पीड कारीडोर (एक्सप्रेसवे) में एलाइनमेंट तय हो गया है। एक्सप्रेसवे गोरखपुर-बस्ती मंडल के चार जिलों से होकर गुजरेगा। इसकी लंबाई करीब 86 किलोमीटर होगी। सर्वे के अनुसार एलाइनमेंट तय कर लिया गया है, हालांकि एनएचएआई मुख्यालय से गांवों की सूची प्राप्त नहीं हुई है। गांवों की सूची मिलते ही राजस्व मानचित्र के अनुसार जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

गोरखपुर क्षेत्र में संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर से होते हुए पानीपत एक्सप्रेसवे गोरखपुर से गुजरेगा और कुशीनगर तक बनेगा। इस पत्र से अनुमान लगाया जा रहा है कि पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे और गोरखपुर



**६६** पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण अधिकारी का नाम जल्द ही भेज दिया जाएगा। जबकि एनएचएआई से मांगे जाने पर संबंधित गांवों का राजस्व मानचित्र जल्दी तैयार कराया जाएगा। विकास कार्यों को जल्द ही शुरू कराने की प्राथमिकता है।  
- दीपक मीणा, जिलाधिकारी

## अब शुरू हुई पैमाइश की तैयारी

गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे में एनएचएआई गोरखपुर ने पैमाइश की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें गांवों, उनमें प्रभावित गांटों की संख्या एवं उसके रकबा का सर्वे किया गया है। सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय में भेज दी गई है। अगले सर्वे में पैमाइश होगी जिसकी तैयारी की जा रही है। उसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे कुशीनगर में जुड़ेंगे। हालांकि, गांवों की सूची प्राप्त होने के बाद पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट होगी कि किस जिले में एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी? पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट तय होने के

बाद एनएचएआई ने कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

एनएचएआई अधिकारियों ने चारों जिले के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर पानीपत एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भू अधिग्रहण अधिकारी नियुक्त

## सदर और कैपियरगंज के 50 गांवों में हुआ था सर्वे

पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे के बारे में जानने के लिए गांव के लोगों में उत्सुकता है। करीब दो माह पहले तक तहसील सदर एवं कैपियरगंज तहसील क्षेत्र के करीब 50 गांवों में सर्वे किया गया। एक्सप्रेसवे में तीन एलाइनमेंट में किसी एक एलाइनमेंट को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है इसलिए जिन गांवों में सर्वे हुआ है, वहां के लोग जानना चाहते हैं कि एक्सप्रेसवे उनके गांव से होकर जाएगा या कहीं और चला गया है।

करने की सिफारिश की है। जबकि गांवों की सूची उपलब्ध होते ही जिला प्रशासन से संबंधित गांवों का राजस्व मानचित्र मांगा जाएगा। उसके बाद सर्वे में पता चलेगा कि किस काश्तकार की कितनी जमीन का अधिग्रहण होगा।